


मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त यु0जी0 काउंसिलिंग नीट 2019  
च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग के संबंध में सूचना

समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग करने के उपरान्त अपनी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें, च्वाईस लॉक न किये जाने की स्थिति में भरी गई च्वाईस मान्य नहीं होगी एवं अभ्यर्थी उस चरण में आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

यदि वह अपने द्वारा पूर्व में कि गयी च्वाईस फिलिंग प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए संशोधन किये जाने का अवसर पोर्टल पर उपलब्ध है। यह संशोधन की सुविधा दिनांक 06.07.2019 से दिनांक 09.07.2019 (मध्यरात्री 12:00 बजे ) तक उपलब्ध रहेगी। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा संशोधन के उपरान्त च्वाईस फिलिंग प्रविष्टियों को सुरक्षित (Lock) करना अनिवार्य है एवं अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करने के उपरान्त संशोधित च्वाईस फिलिंग कि रसीद प्रिंट कर ले। अगर अभ्यर्थी संशोधित च्वाईस फिलिंग को सुरक्षित (Lock) नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में सुरक्षित (Lock) कि गयी च्वाईस फिलिंग की प्रविष्टियों को अंतिम मानते हुये आवंटन हेतु मान्य किया जायेगा।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश